न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 150 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 21.07.2017

रामकन्या पत्नि कैलाश चन्द जाति टांक (कलाल) निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. मोतीदास पिता नवलदास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
   1. श्रीमती मांगीबाई पिता मोतीदास पत्नि कमलदास जाति बैरागी निवासी नरसाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ
2. रामचन्द्र दास पिता रतनदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
3. नारायणदास पिता गंगाराम दास जाति बैरागी– मृतक के बजाय
   1. श्रीमती मथरी बाई पत्नि नारायण दास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   2. सुन्दर पुत्री नारायण दास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. मोहनदास पिता हीरादास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
   1. रामेश्वरदास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   2. प्रकाश दास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   3. जमनादास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   4. गीता बेवा मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
5. बगदीराम दास पिता गोर्वधनदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. कालुदास पिता गोवर्धनदास जाति बैरागी– मृतक के बजाय
   1. जेतु बेवा कालुदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
8. कैलाश चन्द पिता नक्षत्रदास जाति बैरागी उम्र अवयस्क जरिये संरक्षक माता कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
9. किशनदास पिता नवलदास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
   सुन्दरबाई बेवा किशनदास जाति बैरागी कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम उन्देल तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी
11. उप–पंजीयक बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
प्रकरण संख्या 05/2013 प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.06.2016

उपस्थित– 1. चम्पालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा –रेस्पोडेन्ट–4/2, 4/3, 4/4, 7 व 8
3. ललित कुमार शर्मा–रेस्पोडेन्ट–5
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 10 व 11

(2) प्रकरण संख्या – डिक्री 151 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 21.07.2017

रामकन्या पत्नि कैलाश चन्द जाति टांक (कलाल) निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. मोतीदास पिता नवलदास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
   1. श्रीमती मांगीबाई पिता मोतीदास पत्नि कमलदास जाति बैरागी निवासी नरसाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ
2. रामचन्द्र दास पिता रतनदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
3. नारायणदास पिता गंगाराम दास जाति बैरागी– मृतक के बजाय
   1. श्रीमती मथरी बाई पत्नि नारायण दास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   2. सुन्दर पुत्री नारायण दास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. मोहनदास पिता हीरादास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
   1. रामेश्वरदास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   2. प्रकाश दास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   3. जमनादास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   4. गीता बेवा मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
5. बगदीराम दास पिता गोर्वधनदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. कालुदास पिता गोवर्धनदास जाति बैरागी– मृतक के बजाय
   1. जेतु बेवा कालुदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
8. कैलाश चन्द पिता नक्षत्रदास जाति बैरागी उम्र अवयस्क जरिये संरक्षक माता कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़

9. किशनदास पिता नवलदास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
सुन्दरबाई बेवा किशनदास जाति बैरागी कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम उन्ठेल तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी
11. उप–पंजीयक बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
प्रकरण संख्या 05/2013 अंतिम निर्णय एंव डिक्री दिनांक 20.12.2016

उपस्थित– 1. चम्पालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा –रेस्पोडेन्ट–4/2, 4/3, 4/4, 7 व 8
3. ललित कुमार शर्मा–रेस्पोडेन्ट–5
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 10 व 11

(3) प्रकरण संख्या – डिक्री 176 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 04.08.2017

रामकन्या पत्नि कैलाश चन्द जाति टांक (कलाल) निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. मोतीदास पिता नवलदास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
   1. श्रीमती मांगीबाई पिता मोतीदास पत्नि कमलदास जाति बैरागी निवासी नरसाखेडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. रामचन्द्र दास पिता रतनदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
3. नारायणदास पिता गंगाराम दास जाति बैरागी– मृतक के बजाय
   1. श्रीमती मथरी बाई पत्नि नारायण दास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
   2. सुन्दर पुत्री नारायण दास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बिनोता तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. मोहनदास पिता हीरादास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
   1. रामेश्वरदास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   2. प्रकाश दास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   3. जमनादास पिता मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
   4. गीता बेवा मोहनदास जाति बैरागी निवासी रतनपुर तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
5. बगदीरामदास पिता गोर्वधनदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. कालुदास पिता गोवर्धनदास जाति बैरागी– मृतक के बजाय

1. जेतु बेवा कालुदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
8. कैलाश चन्द पिता नक्षत्रदास जाति बैरागी उम्र अवयस्क जरिये संरक्षक माता कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम जलोदा जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
9. किशनदास पिता नवलदास जाति बैरागी–मृतक के बजाय
सुन्दरबाई बेवा किशनदास जाति बैरागी कमलाबाई बेवा नक्षत्रदास जाति बैरागी निवासी भाणुजा हाल मुकाम उन्देल तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी
11. उप–पंजीयक बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
प्रकरण संख्या 13/2003 प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.06.2016

उपस्थित– 1. चम्पालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा –रेस्पोडेन्ट–4/2, 4/3, 4/4, 7 व 8
3. ललित कुमार शर्मा–रेस्पोडेन्ट–5
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 10 व 11

निर्णय **दिनांक 11.03.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा रतनपुर तहसील बडीसादडी मे स्थित मे खतौनी सं. 81 मे दर्ज आराजी सं. 25 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 26 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व आराजी नम्बर 27 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा किता 3 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात नवलदास के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड थी। नवलदास के परिवार का सजरा भी प्रस्तुत किया। व यह निवेदन किया कि नवलदास का स्वर्गवास हो चुका है जिनके 6 पुत्र गंगारामदास गोवर्धनदास मोतीदास रतनदास किशनदास हीरादास हुए। उन सभी का वादग्रस्त आराजीयात मे 1/6 हिस्सा निहित है। इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। गंगारामदास का स्वर्गवास हो चुका है जिनका वारिस नारायणदास मोहनदास है। मोहनदास हीरादास के गोद चले जाने से नारायणदास का 1/6 व मोहनदास का 1/6 हिस्सा है। गोर्वधनदास फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 3 से 8 है। जिनका शामलाती 1/6 हक है। मोतीदास का 1/6 रतनदास का स्वर्गवास हो चुका है उसके वारिस वादी रामचन्ददास का 1/6 हक है। किशनदास का 1/6 हक है। इसी हक हिस्से अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण अपने–अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है। मौके पर पालियां भी पडी हुई है। परन्तु राजस्व रेकार्ड मे वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नही हुआ। फिर भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण बिना विभाजन कराये ही आराजीयात को खुर्द–बुर्द कराये व हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया।

रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपनी ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। शेष प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 5, 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित हुए। उक्त पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम व प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादीगण का दौराने वाद स्वर्गवास हो जाने से आदेश 22 नियम 3 व 4 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने आदेश 22 नियम 3 व 4 स्वीकार किया जाकर संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के अनुसार दिनांक 29.09.2005 को पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर पत्रावली को वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उक्त पत्रावली मे उक्त तनकियात को दिनांक 17.11.2005 को रेकार्ड पर ली गई। उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.06.2016 को प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उसके पश्चात् कमिश्नर से फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर दिनांक 20.12.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 23.06.2016 व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट जो कि अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम के आवेदन के साथ प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2016 के विरूद्ध अलग–अलग अपीले प्रस्तुत की है। तीनो अपीलो मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की विवादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान समान होने से तीनो अपीलो मे एक साथ बहस सुनी जाकर एक साथ निर्णित की जाना न्यायोचित होने से एक साथ निर्णय के लिये नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र मे यह निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट जो कि आवश्यक पक्षकार मुकदमा थी। रेस्पोडेन्टगण ने षडयन्त्र रच कर अपीलान्ट के हक व हकुको को समाप्त करने की नियत से अपीलान्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र प्रस्तुत कर प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित करवाई है। जबकि अपीलान्ट ने आराजीयात क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिससे अपीलान्ट खातेदार होकर अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे है। अपीलान्ट प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को तीनो अपीले प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपीलो मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रसुतत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने से अपीलान्ट प्रार्थिया को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 व

अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2016 मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीले अन्दर म्याद लिये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलो मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम भी स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीले अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श–1 लिखतम का तावान तय कर सहादत मे लिया है। इसी आधार पर दावा डिक्री किया है। पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार दस्तावेज का पंजीयन होना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 6,8, की प्लीडिंग से स्पष्ट है कि वह अवयस्क है फिर उनके विरूद्ध दिनांक 02.03.1992 को ही एक तरफा कर दिया था। न्यायालय द्वारा कोई वली कायम नही किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री बगैर संरक्षक नियुक्त किये पारित की गई। दिनांक 02.03.2009 को अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 9 अनुपस्थित है। दिनांक 01.04.2009 को आदेशिका पर कोई हस्ताक्षर नही किये है। किशनदास उपस्थित रहा हो तत्पश्चात् किशनदास की मृत्यु होना बताया है। नाम कायमी मे रेस्पोडेन्ट सं. 9 की वारिस सुन्दरबाई की नाम कायमी कराई गई। जिस पर कोई तामील नही करवाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तनकी सं. 1 से 4 रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण प्रमाणित नही करा सके। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया व उसके बाद फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री किया गया जो न्यायोचित नही होने से निरस्त योग्य है व बहस मे यह भी निवेदन किया कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादी वादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवादी सं. 9 के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो विधिविरूद्ध था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री तनकीवार दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है। उसे विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट जो कि विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही थी। अपीलान्ट की ओर से अपीले म्याद बाहर प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री विधिपूर्ण होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत तीनो अपीले निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 9 के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार मुकदमा थी। जिसको पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की उसके पश्चात् इन्ही आराजीयात के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सं. 13/2003 प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद को प्रकरण सं. 5/2013 के साथ समेकित किया जाकर दिनांक 23.06.2016 को

समेकित निर्णय व डिक्री पारित की। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अपील क्रमांक डिक्री 176/2017 प्रस्तुत की जिसका निर्णय भी इन्ही के साथ किया जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.16 व उसके पश्चात् अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अपील क्रमांक 150/2017 अपील क्रमांक डिक्री 151/2017 व अपील क्रमांक डिक्री 176/2017 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी प्रकरण संख्या 05/2013 समेकित प्रकरण सं. 13/2013 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 23.06.2016 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार कायम कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ